रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-329/2025/773/22-2-2023-17(555)/2023

लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल,2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कविन्द्र (बन्दी सं0-457/2015) पुत्र श्री महकार सिंह, जो सोना, थाना-परीक्षितगढ, जिला-मेरठ का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1135/2008 व 1136/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-18 मेरठ के आदेश दिनांक 11.08.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया बंदी द्वारा दिनांक 20.08.2022 तक 07 वर्ष, 07 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 07 माह 22 दिन की सपरिहार भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण, तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या- 329/2025/773(1)/22-2-2023-17(555)/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।